न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 32/2023 (राजसमन्द डिक्री)

1. मंजु पत्नी कमला शंकर जी पालीवाल, निवासी चिकलवास, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. कृष्ण गोपाल पिता कमला शंकर जी पालीवाल, निवासी चिकलवास, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. निशा पुत्री कमला शंकर जी पत्नी सुरेश जी पालीवाल, निवासी चिकलवास, हाल निवासी छापरखेड़ी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
4. निधी पुत्री कमला शंकर जी पालीवाल, निवासी चिकलवास, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. सोसरबाई पत्नी रामप्रताप जी पालीवाल, निवासी चिकलवास, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. लाली पुत्री रामप्रताप जी पत्नी पुष्करलाल जी पालीवाल, निवासी चिकलवास, तहसील नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
का.अ. 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री
उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा दिनांक
21.05.2004 प्रकरण संख्या 76/04

–––/–––

उपस्थित :– 1– श्री अक्षय पालीवाल अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री ध्रुव कुमार तिवारी अभिभाषक रे. सं. 1, 2

–––::–––

निर्णय **दिनांक 12–12–2024**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53 (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर [illegible] किया कि ग्राम चिकलवास में

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.19 12:52:28 IST
Reason: SelfAttested

खाता संख्या 24 की कुल किता 41 रकबा 30 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसके वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार है, जिसका वर्णन परिशिष्ट ''अ'' में अंकित है। पक्षकारान हिस्से अनुसार अपनी–अपनी भूमियों पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं, किन्तु वादीगण खाते अलग अलग करवाना चाहते हैं। अतः विवादित आराजियात का विभाजन किया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकारोक्ति का जवाबदावा प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर निर्णय दिनांक 21–05–2004 से वादीगण का विभाजन का वाद डिक्री किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 29–03–2023 को प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 की ओर से अधिवक्ता श्री ध्रुव कुमार तिवारी उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट के पिता की मृत्यु दिनांक 26–02–2022 को हुई। अभी 5 दिन पूर्व रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा विक्रय करने की धमकी दिये जाने पर उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। जानकारी होने पर नकल हेतु आवेदन कर एवं नकले प्राप्त कर अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपील 19 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं देरी का जो कारण अपीलान्ट द्वारा बताया गया है, वह 19 वर्षो के विलम्ब हेतु कोई उचित व पर्याप्त कारण नहीं है। अतः अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.19 12:52:28 IST
Reason: SelfAttested

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 21–05–2004 के विरूद्ध अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 29–03–2023 को प्रस्तुत की गई है, जबकि अपील की समयावधि 60 दिवस होकर दिनांक 20–07–2004 तक अपील प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी, किन्तु अपील करीब 18 वर्ष 8 माह से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए अपने प्रार्थना पत्र में जो कारण बताया है वह इतने वर्षो के विलम्ब हेतु न तो कोई उचित कारण प्रकट है, न ही उसे पर्याप्त कारण माना जा सकता है, जबकि स्वयं अपीलान्ट के पिता प्रतिवादी कमला शंकर की फर्द बंटवारे पर अंगूठा निशानी है। तद्नुसार अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 21–05–2004 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 12–12–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.19 12:52:28 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.** .....

मंजु पत्नी कमला शंकर पालीवाल, नि0 चिकलवास, तह0 नाथद्वारा, जिला राजसमन्द व अन्य	बनाम	**सोसरबाई पत्नी रामप्रताप पालीवाल, निवासी चिकलवास, तह0 नाथद्वारा, जिला राजसमन्द व अन्य**

अपील नं.....**12 / 2023**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....नाथद्वारा..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....21**.....माह.....**05**.....**.....2004**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**.12.**....माह.....12**.....**सन् **2024** रूबरू.....**.पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री अक्षय पालीवाल.....**मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री ध्रुव कुमार तिवारी**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि.... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री 21–05–2004 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**12.....**माह.....**...12**.....**2024** को जारी किया गया।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.19 12:52:28 IST
Reason: SelfAttested